संख्या-81/2026/189 के-2/22-3-2025-17(337)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2026**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र उर्फ गब्बर जाटव पुत्र श्री राजेन्द्र जाटव, निवासी जनपद-इटावा की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025(बैठक दिनांक 21.01.2025) दिनांक-30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र उर्फ गब्बर जाटव (बंदी सं0-26537) पुत्र श्री राजेन्द्र जाटव, जो-ग्राम सिमरिया भुलरई, थाना-चौबिया, जनपद-इटावा का निवासी है। दिनांक 23.12.2009 को वादी की पुत्री आयु 10 वर्ष को खेत में चने का साग लेने गयी तभी बन्दी द्वारा चने के खेत से खींचकर सरसों के खेत में ले जाकर बलात्कार किये जाने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-55/2010 में भा0द0वि0 की धारा-376(1) के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-6 इटावा के आदेश दिनांक 08.03.2013 **द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.01.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी की आयु जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.01.2025 तक 33 वर्ष 11 माह 10 दिन है। बन्दी द्वारा दिनांक 10-01-2025 तक 15 वर्ष, 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 05 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।**

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुए उल्लेख किया गया है कि (1) बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बन्दी के पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है। (3) बन्दी पुन: अपराध करने में सशक्त है। (4) बन्दी को समयपूर्व रिहा करने से पीड़ित पक्ष में भय व्याप्त रहेगा। (5) बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। तद्नुसार बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा समिति के समस्त सदस्यों द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया। बन्दी द्वारा कारित अपराध के दृष्टिगत मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडने. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र उर्फ गब्बर जाटव पुत्र राजेन्द्र जाटव को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र उर्फ गब्बर जाटव (बंदी सं0-26537) पुत्र श्री राजेन्द्र जाटव, निवासी जनपद-इटावा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री को सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।